Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

सितम्बर (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़

- महतारी वंदन योजना 3
- छत्तीसगढ़ में 18 लंगूरों की गोली मारकर हत्या 3
- केंद्र ने 8 लाख PMAY आवासों को मंज़ूरी दी 4
- लखपति दीदी- छत्तीसगढ़ में जीवन का परिवर्तन 5
- मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना 6
- आकाशीय तड़ित के कारण लोगों की मौत 6
- कम बेरोज़गारी के मामले में छत्तीसगढ़ पाँचवें स्थान पर 8

नोट :

छत्तीसगढ़

महतारी वंदन योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **मुख्यमंत्री विष्णु देव सहाय** ने घोषणा की कि वे **तीजा-पोरा (2 सितंबर) महतारी वंदन उत्सव** के दौरान **महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त** जारी करेंगे, जिसके तहत 70 लाख महिला लाभार्थियों को 1,000-1,000 रुपए प्रदान किये जाएंगे।

मुख्य बिंदु:

- **पात्रता:** छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिये, 1 जनवरी, 2024 तक 21 वर्ष की आयु होनी चाहिये और **इसमें विवाहित महिलाएँ, विधवाएँ, तलाकशुदा व परित्यक्त महिलाएँ शामिल हैं।**
  - **अपवर्जन:** आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
- **शुभारंभ:** भारत के प्रधानमंत्री 10 मार्च, 2024 को महतारी वंदन योजना का शुभारंभ करेंगे और पहली किश्त जारी करेंगे।
- **सहायता:** 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं (विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त) को 1,000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है।
- **लाभार्थी: 70 लाख** से अधिक महिलाओं का चयन किया गया; 6 किश्तें हस्तांतरित की जा चुकी हैं।
- भुगतान: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मार्च से अगस्त तक 39.23 बिलियन रुपए का भुगतान किया गया।
- **तीजा-पोरा:** तीजा-पोरा खेती की प्रक्रिया में बैलों और भैंसों की महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये उनके सम्मान तथा सराहना हेतु मनाया जाता है।
  - यह कृषि मौसम के अंत का प्रतीक है और इसमें इन पशुओं के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता दर्शाने के लिये अनुष्ठान किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ में 18 लंगूरों की गोली मारकर हत्या

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के **बेलगाँव** में फसल की हानि के कारण लगभग 18 लंगूरों को गोली मार दी गई, जिसके बाद वन विभाग ने जाँच शुरू की।

मुख्य बिंदु

- **सांस्कृतिक संदर्भ:** यह घटना असामान्य थी, क्योंकि ग्रामीण लोग आमतौर पर बंदरों को मारने से बचते हैं, क्योंकि **उन्हें डर रहता है कि इससे सूखा पड़ सकता है**, जो **वन्यजीवों के सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्त्व** को उजागर करता है।
- **कानूनी कार्रवाई:** **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
  - **अनुसूची I:** यह कठोर दंड के साथ लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करता है; कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर शिकार पर प्रतिबंध लगाता है (जैसे- काला हिरण, हिम तेंदुआ)।
  - **अनुसूची II:** कुछ प्रजातियों के लिये उच्च सुरक्षा और व्यापार निषेध (जैसे- असमिया मैकाक, भारतीय कोबरा)।
  - **अनुसूची III और IV:** उल्लंघन के लिये कम दंड के साथ गैर-लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करता है (जैसे- चीतल, फ्लेमिंगो)।
  - **अनुसूची V:** उन कृमि प्रजातियों की सूची बनाता है जिनका शिकार किया जा सकता है (जैसे- आम कौवे, चूहे)।
  - **अनुसूची VI:** निर्दिष्ट पौधों की खेती और व्यापार को नियंत्रित करता है, जिसके लिये पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है (जैसे- नीला वांडा, कुथ)।

नोट :

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 जंगली पशुओं और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली पशुओं, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन एवं नियंत्रण के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है
- इसमें उन पौधों और पशुओं की अनुसूचियाँ भी सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें सरकार द्वारा अलग-अलग स्तर पर संरक्षण और निगरानी प्रदान की जाती है।

केंद्र ने 8 लाख PMAY आवासों को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत 8 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु

- केंद्र ने छत्तीसगढ़ में **प्रधानमंत्री आवास योजना** के अंतर्गत निर्माण के लिये **8,46,931 आवासों** को मंज़ूरी दी।
- **'नियद नेल्लनार' योजना: नक्सल प्रभावित** गाँवों तक **बुनियादी सुविधाएँ** और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ **सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2024** की शुरुआत में शुरू की गई।
  - इस योजना के तहत सुरक्षा शिविरों के **5 किलोमीटर के दायरे** में आने वाले अंदरूनी गाँवों में विकास कार्य किया जा रहा है।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान:** इसका उद्देश्य विशेष रूप से **कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG)** के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके तहत राज्य में 24,064 आवास स्वीकृत किये गए और उनमें से अधिकांश पूरे हो चुके हैं।

PMAY-G

- **लॉन्च:** 1 अप्रैल, 2016 ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिये **इंदिरा आवास योजना** से पुनर्गठित।
- **लाभार्थियों का चयन:** **सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011**, ग्राम सभा और जियो-टैगिंग के आधार पर।

PMAY-U

- **लॉन्च:** 25 जून, 2015 **वर्ष 2022** तक सभी शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये।
- **विशेषताएँ:** इसमें शौचालय, जलापूर्ति, विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाएँ शामिल हैं तथा महिला सदस्यों या संयुक्त नामों के नाम पर घर का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया गया है।

PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN)

- **उद्देश्य:** जनजातीय समूहों, विशेष रूप से विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुके जनजातीय समूहों को आवश्यक सहायता, विकास और मुख्यधारा की सेवाओं एवं अवसरों से जोड़ना तथा उनकी रक्षा करना।
- **कवरेज:** 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के **22,544 गाँवों तथा 220 ज़िलों** में **75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG)** को शामिल किया गया है।
- **जनसंख्या:** लगभग 28 लाख लोग इन पहचाने गए जनजातीय समूहों से संबंधित हैं।
- **महत्त्व:** जनजातीय समुदायों के उत्थान और सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा आवश्यक सेवाओं एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण में अंतर को पाटते हुए उन्हें मुख्यधारा के विकास में एकीकृत करने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)

- **जनजातीय जनसंख्या:** भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा है।

नोट :

- **भेद्यता:** अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में PVTG अधिक असुरक्षित हैं और उनके विकास के लिये अधिक निर्देशित निधियों की आवश्यकता होती है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - वर्ष 1973: ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTG) को कम विकसित के रूप में वर्गीकृत किया।
  - वर्ष 2006: भारत सरकार द्वारा PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया गया।
  - वर्ष 1975: सरकार ने 52 PVTG की पहचान की और उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया।
  - वर्ष 1993: अतिरिक्त 23 PVTG जोड़े गए, कुल मिलाकर 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 हो गए।
- **PVTG की विशेषताएँ:**
  - अधिकतर समरूप तथा कम जनसंख्या।
  - भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पृथक।
  - लिखित भाषा का अभाव।
  - सरल प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा परिवर्तन की धीमी दर।
- **भौगोलिक वितरण:** PVTG की सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।

लखपति दीदी- छत्तीसगढ़ में जीवन का परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **लखपति दीदी योजना** ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के जीवन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है, क्योंकि इससे उन्हें विभिन्न **स्वयं सहायता समूह (SHG)** पहलों के माध्यम से सहायता मिली है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिली है।

मुख्य बिंदु:

- **लखपति दीदी योजना: केंद्र सरकार** द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य ज़िले की 35,000 महिलाओं को लखपति बनाना है।
  - " **लखपति दीदी** " स्वयं सहायता समूह की वह सदस्य होती है, जिसने सफलतापूर्वक **एक लाख रुपए या उससे अधिक** की वार्षिक घरेलू आय प्राप्त कर ली हो।
    - यह आय कम-से-कम चार कृषि मौसमों या व्यवसाय चक्रों तक बनी रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि औसत मासिक आय दस हजार रुपए (10,000 रुपए) से अधिक हो।
    - इसकी शुरुआत **दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** द्वारा की गई थी, जिसमें प्रत्येक स्वयं सहायता समूह (SHG) परिवार को मूल्य शृंखला हस्तक्षेपों के साथ-साथ विभिन्न आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की स्थायी आय होती है।
  - **उद्देश्य:** इस पहल का उद्देश्य न केवल महिलाओं की आय में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है, बल्कि स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाना है।
  - ये महिलाएँ अपने समुदायों में आदर्श के रूप में कार्य करती हैं और प्रभावी संसाधन प्रबंधन एवं उद्यमशीलता की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं।
- **उपलब्धियाँ: वर्ष 2023 में लखपति दीदी योजना** की शुरुआत के बाद से, एक करोड़ महिलाओं को पहले ही लखपति दीदी बनाया जा चुका है और सरकार ने ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाली 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख SHG की सफलता को मान्यता देते हुए लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा की है।
  - **लुण्ड्रा विकासखण्ड** (छत्तीसगढ़) में सकारात्मक परिवर्तन की सूचना मिली

नोट :

- **शोभा लाकड़ा का व्यक्तिगत अनुभव**
  - **समूह:** चंपा महिला स्वयं सहायता समूह
  - **गतिविधियाँ:** बकरी और भेड़ पालन
  - **लाभ:** सरकारी योजनाओं की जानकारी, आपसी सहयोग, ऋण और सालाना ₹1 लाख से अधिक की कमाई

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा **स्कूल जतन योजना** के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- **मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना:** मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों के **बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं में सुधार** करना है।
  - इस योजना का उद्देश्य **नई कक्षाओं का निर्माण**, **मौजूदा सुविधाओं का नवीनीकरण तथा पुस्तकालयों और शौचालयों** जैसी आवश्यक सुविधाओं में सुधार करना है।
  - इस योजना का उद्देश्य बेहतर **बैठने की व्यवस्था और उन्नत सुविधाएँ** प्रदान करके **शिक्षण वातावरण को बेहतर बनाना है,** जिससे छात्र नामांकन में वृद्धि हो सके तथा छात्रों एवं शिक्षकों में संतुष्टि बढ़े।
- **चुनौतियाँ:**
  - **निम्नस्तरीय कार्य:** निम्नस्तरीय निर्माण गुणवत्ता और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप सामने आए हैं।
  - **संबंधी कमियाँ:** योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अपर्याप्त निरीक्षण और जवाबदेही के बारे में चिंताएँ।
  - **स्कूलों पर प्रभाव:**
    - अनियमितताओं के कारण स्कूलों के लिये अपेक्षित बुनियादी ढाँचे में सुधार की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
    - इस योजना से जुड़ी समस्याओं से शिक्षण वातावरण तथा छात्रों और शिक्षकों की समग्र संतुष्टि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **आगे की राह:**
  - **जाँच:** राज्य सरकार आरोपों की जाँच कर रही है और योजना के कार्यान्वयन का आकलन कर रही है।
  - **सुधार:** चिह्नित किये गए मुद्दों के समाधान और योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये संभावित सुधार तथा सुधारात्मक उपाय शुरू किये जा सकते हैं।
  - **सुदृढ़ जवाबदेही:** बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने और भविष्य में अनियमितताओं को रोकने के लिये बेहतर निरीक्षण तंत्र को लागू करना।
  - **उन्नत निगरानी:** योजना के अंतर्गत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की गुणवत्ता और उचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिये निगरानी प्रयासों में वृद्धि करना।

आकाशीय तड़ित के कारण लोगों की मौत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव में भारी वर्षा के दौरान हुई विनाशकारी आकाशीय तड़ित से बच्चों सहित कई लोगों की जान चली गई।

नोट :

मुख्य बिंदु

- **भारत में आकाशीय तड़ित:**
  - आकाशीय तड़ित एक शक्तिशाली और दृश्यमान विद्युत घटना है जो तब होती है जब बादलों के भीतर तथा बादलों और ज़मीन के बीच विद्युत आवेश का निर्माण होता है।
    - इस विद्युत ऊर्जा के निर्वहन के परिणामस्वरूप प्रकाश की एक चमकदार चमक उत्पन्न होती है और हवा का तेज़ी से विस्तार होता है, जिससे बिजली के साथ होने वाली विशिष्ट गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है।
    - क्लाउड-टू-ग्राउंड (CG) बिजली खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें उच्च विद्युत वोल्टेज और करंट के कारण लोगों को बिजली का झटका लग सकता है।
  - भारत विश्व के उन पाँच देशों में शामिल है जहाँ आकाशीय तड़ित की पूर्व चेतावनी प्रणाली मौजूद है।
    - यह प्रणाली आकाशीय तड़ित से पाँच दिन पहले से लेकर तीन घंटे पहले तक का पूर्वानुमान उपलब्ध कराती है।
- **आकाशीय तड़ित से होने वाली मौतें: आँकड़े और रुझान**
  - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटा**: वर्ष 2021 में, आकाशीय तड़ित से 2,880 मौतें हुईं, जो "प्राकृतिक बलों" के कारण हुई सभी आकस्मिक मौतों का 40% है।
    - यह प्रवृत्ति अन्य प्राकृतिक घटनाओं की तुलना में आकाशीय तड़ित से होने वाली मौतों में वृद्धि दर्शाती है।
- **भारत में भौगोलिक वितरण:**
  - **पूर्वोत्तर राज्यों तथा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और बिहार** में आकाशीय तड़ित की आवृत्ति सबसे अधिक है ।
    - **हालाँकि, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़** और **ओडिशा** जैसे मध्य भारतीय राज्यों में आकाशीय तड़ित से होने वाली मौतों की संख्या अधिक है ।
  - बिहार आकाशीय तड़ित के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील राज्यों में से एक है, जहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में मौतें होती हैं।
    - वर्ष 2023 में 6 जुलाई तक बिहार में आकाशीय तड़ित से **107 मौतें दर्ज की गईं।**
- **आकाशीय तड़ित के संबंध में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण:**
- केंद्र सरकार आकाशीय तड़ित को **प्राकृतिक आपदा घोषित करने का विरोध करती है**। सरकार का मानना है कि शिक्षा और जागरूकता से आकाशीय तड़ित से होने वाली मौतों को प्रभावी ढंग से रोकने में सहायता मिल सकती है।

आकाशीय तड़ित की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे संभावित कारक

- **जलवायु परिवर्तन:** **ग्लोबल वार्मिंग** और **जलवायु परिवर्तन** वायुमंडलीय स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे तूफान और आकाशीय तड़ित की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।
  - जैसे-जैसे ग्रह का तापमान बढ़ता है, नमी के वितरण, अस्थिरता और संवहनीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन हो सकता है, जिससे आकाशीय तड़ित की घटनाएँ अधिक बार हो सकती हैं।
  - कालबैसाखी एक स्थानीय तूफान है, जो बिजली चमकने के साथ आता है, जो आमतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्री-मानसून सीजन के दौरान देखा जाता है।
- **शहरीकरण:** शहरी क्षेत्रों के विस्तार से **"शहरी ताप द्वीप प्रभाव" उत्पन्न हो सकता है।**
  - बढ़ती मानवीय गतिविधियों, ऊर्जा खपत और अभेद्य सतहों के कारण शहर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं।
  - इन स्थानीयकृत ऊष्मा द्वीपों के कारण अधिक तूफानों का निर्माण हो सकता है, तथा परिणामस्वरूप, आकाशीय तड़ित की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।
- **भूमि उपयोग में परिवर्तन:** **वनों की कटाई,** कृषि पद्धतियों में परिवर्तन और प्राकृतिक परिदृश्य में परिवर्तन स्थानीय वायुमंडलीय स्थितियों को बाधित कर सकते हैं।
  - ऐसे परिवर्तन तूफानों के विकास में योगदान दे सकते हैं, तथा परिणामस्वरूप अधिक आकाशीय तड़ित की संभावना हो सकती है।

नोट :

- **प्रदूषण और एरोसोल:** एरोसोल और कण पदार्थ सहित वायु प्रदूषण, तूफानों के दौरान बादल निर्माण और विद्युत गतिविधि को प्रभावित कर सकता है।
  - **मानवजनित उत्सर्जन** से तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता प्रभावित हो सकती है, जिससे आकाशीय तड़ित की घटनाएँ बढ़ सकती हैं।

कम बेरोज़गारी के मामले में छत्तीसगढ़ पाँचवें स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ को **कम बेरोज़गारी दर** हासिल करने के लिये मान्यता दी गई है, जो भारतीय राज्यों में **पाँचवें स्थान** पर है।

मुख्य बिंदु

- **सर्वेक्षण विवरण:**
  - **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO)** ने जुलाई 2023 से जून 2024 तक **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण** के माध्यम से अपनी सातवीं वार्षिक रिपोर्ट तैयार की।
  - बेरोज़गारी दर को श्रम बल में बेरोज़गार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **सरकार की भूमिका:**
  - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बेरोज़गारी की कम दर का श्रेय **रोज़गार सृजन** के लिये सरकार के प्रयासों को दिया।
  - विशेष रूप से **ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों** में रोज़गार और **स्वरोज़गार के अवसर** सृजित करने के लिये पहल लागू की गई है।
- **कौशल विकास में निवेश:**
  - राज्य सरकार युवाओं को **रोज़गारोन्मुख कौशल** प्रदान करने के उद्देश्य से **160 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Industrial Training Institutes- ITI)** स्थापित करने की योजना बना रही है।
  - अगले **तीन वर्षों** में **484 करोड़ रुपए** के निवेश से ITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा ।
- **नवीन शैक्षिक पहल:**
  - सरकार **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institutes of Technology- IIT)** की तर्ज पर **पाँच संस्थान** शुरू करने की योजना बना रही है।
  - प्रौद्योगिकी और रोज़गार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उद्योग में **कौशल विकास** पर ज़ोर दिया जाता है ।
  - राज्य जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं को **रोबोटिक्स** और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** सिखा रहा है, जो आधुनिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO)

- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** एक सरकारी एजेंसी है जो जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, कृषि और उद्योग सहित विविध विषयों पर सर्वेक्षण करती है।
- NSSO की **स्थापना वर्ष 1950** में हुई थी और यह **वर्ष 1999** से **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI)** के अधीन है।
- NSSO का **मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है,** तथा बंगलूरू में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है।
- **NSSO के कुछ कार्य इस प्रकार हैं:**
  - **घरेलू सर्वेक्षण:** NSSO घरेलू उपभोक्ता व्यय और अन्य विषयों पर सर्वेक्षण आयोजित करता है।
  - **रोज़गार और बेरोज़गारी:** NSSO रोज़गार और बेरोज़गारी पर पंचवर्षीय सर्वेक्षण आयोजित करता है, जो श्रम बल पर डेटा का प्राथमिक स्रोत है।
  - **आवास की स्थिति:** NSSO ने आवास की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण किये हैं।
  - **अनौपचारिक उद्यम:** NSSO ने अनौपचारिक गैर-कृषि उद्यमों और अन्य विषयों पर सर्वेक्षण आयोजित किये हैं।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :